भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2999

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

बाढ़ के कारण सिंचाई अवसंरचना को नुकसान

2999. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में बार-बार आई बाढ़ से धुबरी जिले में सिंचाई अवसंरचना को नुकसान पहुंचा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी क्षतिग्रस्त सिंचाई संरचनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उनकी मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) ऐसी अवसंरचना को बाढ़ रोधी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): बाढ़ के कारण सिंचाई के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। सिंचाई परियोजनाएं और जल संसाधन प्रबंधन सहित बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार और कार्यान्वित करती हैं। केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास से संबंधित कार्यों हेतु केंद्र प्रायोजित 'बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) के माध्यम से गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्सहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत, असम राज्य को इसकी शुरुआत से अब तक कुल 1,629.02 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है, जिससे धुबरी सहित कई जिले लाभान्वित हुए हैं। एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत असम के धुबरी जिले की सात बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल किया गया और 35.37 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

राज्य सरकारें वर्षा और बाढ़ जैसी 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करती हैं और भारत सरकार के स्वीकृत नियमों के अनुसार, उन्हें पहले से उपलब्ध कराए गए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान की जाती हैं। अंतर-

मंत्रालयी केंद्रीय समूह (आईएमसीटी) द्वारा किया जाने वाला आकलन सहित 'गंभीर प्रकृति' की आपदाओं के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत, 360 तय किए गए बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों (159 अंतर्वाह पूर्वानुमान केंद्र और 201 स्तरीय पूर्वानुमान केंद्र) पर 24 घंटे तक पहले से बाढ़ का शॉर्ट-रेंज पूर्वानुमान जारी करता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन और उसकी सहायक नदियों में, 39 स्तरीय पूर्वानुमान केंद्र और 10 अंतर्वाह पूर्वानुमान केंद्र सहित सीडब्ल्यूसी 49 विशेष बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र संचालित करता है। धुबरी जिले में दो बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी और संकोश नदी पर गोलोकगंज क्रियाशील हैं। ये केंद्र समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करते हैं ताकि तैयारी की जा सके, सिंचाई के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखा जा सके और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
